



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220712
CG-DL-E-28072020-220712

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]
No. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SHRAVANA 5, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

सं. स्टैंड्स/ऐडीटिव-03/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018.— खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. स्टैंड्स/ऐडीटिव-03/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 29 नवम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 में, खंड (19) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परन्तु यह कि यदि ऐसे उत्पाद वेंडिंग मशीन के माध्यम से बेचे जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.4(24,25,26,28 और 29) की अपेक्षाओं के अनुसार कृत्रिम स्वीटनर के संबंध में खाद्य कारोबारी विशिष्ट रूप से वेंडिंग मशीन पर डिस्प्ले करेगा और कप या कंटेनर पर जिसमें उत्पाद परोसा जाता है पर लेबल लगायेगा।

स्पष्टीकरण— इस परंतुक के उद्देश्य के लिए, वेंडिंग मशीन में वे शामिल नहीं हैं जो पहले से पैक किए गए पेय और भोजन परोसते हैं”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./146/2020]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:—

(i) फा.सं.4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013.

(ii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016

(iii) फा.सं.मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016

(iv) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 31 जुलाई, 2018 और

(v) फा. सं. मानक/साल्ट/एम आई ए सी/01/ एफएसएसएआई-2016(पी.टी.1), दिनांक 25 जून, 2019।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018.— Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2018, was published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the 26th November, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th November, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely: —

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) First Amendment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, in clause (19), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that if such product is sold through a vending machine, the food business operator shall display on the vending machine prominently and cause it to be labelled on the cup or container in which the product is served in respect of artificial sweetener as per the labelling requirements specified under regulation 2.4.4 (24, 25, 26, 28 and 29) of Food safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011.

Explanation.- For the purpose of this proviso, vending machine does not include those which serve pre-packaged beverages and food.”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./146/2020]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F.No.4/15015/30/2011, dated the 8thFebruary, 2013;
- (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iii) F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iv) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018; and
- (v) F.No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25th June, 2019.